(ब) यदि संबंधित अवधि में किसी सरकारी सेवक को कोई सुझावात्मक प्रविष्टि या चेतावनी दी गयी हो तो उसे सुझावात्मक प्रविष्टि/चेतावनी को संतोषजनक सेवा के मूल्यांकन हेतु विचार में न लिया जाये ।

(स) यदि संबंधित अवधि में निन्दा प्रविष्टि से भिन्न कोई अन्य लघु दण्ड या वृहद दण्ड दिया गया हो अथवा एक से अधिक बार पाँच वर्ष के अन्तराल से कम अवधि में निन्दा प्रविष्टि दी गई हो, तो संतोषजनक सेवा के मूल्यांकन हेतु संबंधित अवधि के समस्त सेवाभिलेखों के आधार पर सावधानीपूर्वक विचार कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वविवेक से समुचित निर्णय लिया जाये ।

(द) यदि संबंधित अवधि में एक से अधिक वर्षों को सत्यनिष्ठा पाँच वर्ष के अन्तराल से कम अवधि में अप्रमाणित कर दी गई हो तो सामान्यता उक्त अवधि की सेवाओं को असंतोषजनक समझा जाये ।

3--अनुरोध है कि कृपया इस विषय पर निर्णय लेते समय उपरोक्त सिद्धान्तों का भली-भांति अनुपालन सुनिश्चित करें तथा इन्हें अपने अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारियों के संज्ञान में भी ला दें, ताकि उनके स्तर पर भी उपरोक्त सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके ।

4--उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धान्त केवल सक्षम प्राधिकारियों के पथ प्रदर्शनार्थ हैं । ये किसी विषय-विशेष पर इस संबंध में लागू नियमों को अवक्रमित नहीं करते हैं और न ही इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारियों के विवेकाधिकार के विरुद्ध किसी सरकारी सेवक को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्रदान करते हैं ।

भवदीय,
ओ० पी० आर्य,
सचिव ।

संख्या-13/22/93 का-1-1994

प्रेषक,

क्रम संख्या--

बाद० बी० भास्कर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

लखनऊ, दिनांक 25 मार्च, 1994

कार्मिक-अनुभाग-1

विषय--संतोषजनक सेवा का निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-761/कार्मिक-1/1993, दिनांक 30 जून, 1993 में विभिन्न प्रकृति के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण हेतु संतोषजनक सेवा के निर्धारण के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित सामान्य मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किए गये हैं । उक्त शासनादेश के प्रस्तर के उप प्रस्तर (2) का खंड (ब) निम्नवत् है--

"यदि उस अवधि में, जिसके सेवाभिलेख उपरोक्तानुसार विचार क्षेत्र में आते हैं, किसी वर्ष की सत्यनिष्ठा प्रमाणित न की गयी हो, परन्तु अनुवर्ती समस्त वर्षों (जिनकी संख्या कम से कम 5 अवश्य हो) की सत्यनिष्ठा लगातार प्रमाणित की जाती रही हो तो केवल उस एक वर्ष को अप्रमाणित सत्यनिष्ठा के आधार पर सेवाओं को असंतोषजनक न माना जाये ।"

2--उपरोक्त प्रावधान के विषय में कतिपय क्षेत्रों से यह आशंका व्यक्त की गई है कि उक्त प्रावधान के लागू होने के कारण पाँच वर्ष पूर्व की अनियमितताओं के लिये सत्यनिष्ठा से बाधित दण्डादेश पारित करने का कोई प्रयोजन नहीं रह जायेगा तथा सम्बन्धित सरकारी सेवकों द्वारा अनुचित लाभ उठाये जाने के उद्देश्य से यह प्रयास किये जा सकते हैं कि किस वर्ष में उनके द्वारा की गई अनियमितता के प्रकरण 5 वर्ष बीत जाने के पश्चात् उठाये जायें तथा उस पर दण्ड सम्बन्धी आदेश भी 5 वर्ष के पश्चात् ही जारी किये जायें ।

3--वस्तुतः किन्हीं अनियमितताओं के सम्बन्ध में सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के प्रयोजन से उ० प्र० कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 तथा उ० प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के अन्तर्गत कार्यवाही करने या दण्डादेश पारित करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व कभी भी उक्त नियमों के तहत दण्डादेश पारित किया जा सकता है, चाहे अनियमितता से सम्बन्धित घटना कितनी पुरानी क्यों न हो । दण्डादेश जारी करने वाले अधिकारी का यह दायित्व है कि वे ऐसा दण्ड सुनिश्चित कर दण्डादेश जारी करें जिसको उनकी मंशा के अनुरूप पूर्व प्रभाव दिया जा सके । यदि सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने के आरोप में अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है तो आरोप सिद्ध पाये जाने पर संबंधित सरकारी सेवक को केवल "सत्यनिष्ठा अप्रमाणित" कर नहीं छोड़ देना चाहिए वरन् उपर्युक्त अनुशासनिक नियमों में उल्लिखित समुचित दण्ड दिये जाने पर भी विचार कर समुचित आदेश पारित किये जाने चाहिए, क्योंकि किसी वर्ष विशेष में कोई सरकारी सेवक अपनी शासकीय सेवा के प्रति सत्यनिष्ठ रहा है अथवा नहीं, इसका उल्लेख, मात्र एक तथ्यात्मक उल्लेख है व दण्ड को श्रेणी में, जिनका उल्लेख उपर्युक्त अनुशासनिक नियमों में किया गया है, नहीं आता है । ऐसे मामलों में सत्यनिष्ठा अप्रमाणित करते हुये कम से कम निन्दा प्रविष्टि अवश्य दी जानी चाहिए । दण्डस्वरूप निन्दा प्रविष्टि दिये जाने के कारण विषय को ऐसे आदेश जारी होने के पश्चात् लिए जाने वाले सेवा सम्बन्धी निर्णयों में उस दण्डादेश का प्रभाव बना रहेगा क्योंकि दण्डादेश पूर्वगामी प्रभाव के न होकर सदैव ही तात्कालिक प्रभाव रखते हैं ।

4--जहाँ तक सम्बन्धित सरकारी सेवकों द्वारा अनुचित लाभ उठाये जाने के उद्देश्य से ऐसी अनियमितताओं के प्रकरणों को 5 वर्ष तक दबाये रखने के प्रयासों का प्रश्न है, वास्तव में प्रशासनिक नियंत्रण इतना चुस्त होना चाहिए कि ऐसी अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रकरण शीघ्रातिशीघ्र तहसील, जनपद स्तर के अधिकारियों के संज्ञान में आ जाय और उनके यथाशीघ्र उचित स्तर से समुचित निस्तारण की व्यवस्था हो जाय, अतः यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों में सभी स्तरों पर पर्याप्त निगरानी बढ़ायी जाय और इस प्रकार के मामलों को समय से प्रस्तुत व निस्तारित न करने के लिए जिम्मेदार सरकारी सेवकों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय, ताकि इस प्रकार की शिथिलता बरतने की सम्भावना उत्पन्न न हो ।

5--वर्णित परिस्थितियों में प्रश्नगत मामले में मुझे निम्नलिखित स्थिति को स्पष्ट करने व शासकीय निर्णय से अवगत कराने का निदेश हुआ है :--

(1) सी० सी० ए० रूल्स/पनिशमेन्ट एण्ड अपील रूल्स/सर्विस रूल्स के तहत किसी अनियमितता के लिए सम्बन्धित सरकारी सेवक के विरुद्ध दण्डादेश पारित करने में अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने में कोई नियम बाधक नहीं है, चाहे अनियमितता से सम्बन्धित घटना कितनी भी पुरानी क्यों न हो ।

(2) यदि वार्षिक प्रविष्टि अंकित करने के पश्चात् भी सम्बन्धित अवधि में सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने की बाबत कोई अनियमितता प्रकाश में आये दण्डात्मक कार्यवाही के लंबित रहते हुए यथासम्भव कम से कम-निन्दा प्रविष्टि का दण्ड देते हुए (अर्थात् निन्दा प्रविष्टि के माध्यम से) सत्यनिष्ठा अप्रमाणित की जाय ताकि दण्ड की श्रेणी में आने के कारण दण्डादेश का तात्कालिक प्रभाव होने के सामान्य सिद्धान्त के तहत सेवा सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण में उसका समुचित प्रभाव हो सके ।

(3) प्रत्येक स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण को प्रभावकारी बनाया जाय, ताकि किसी सरकारी सेवक (अधिकारी/कर्मचारी) के विरुद्ध इस प्रकार के मामले होने पर उन्हें यथाशीघ्र प्रकाश में लाया जा सके तथा समय से आवश्यक कार्यवाही की जा सके ।

(4) प्रत्येक अनियमितता के सम्बन्ध में चाहे वे किसी पूर्व वर्ष की हों, जो भी दण्डादेश निर्गत किया जायेगा, उसका तात्कालिक प्रभाव होगा तथा दण्डादेश निर्गत होने के दिनांक से सम्बन्धित वर्ष को वार्षिक प्रविष्टि के साथ उसे रखा जायेगा ।

(5) ऐसे मामलों को समय से प्रस्तुत व निस्तारित न करने के लिए जो सरकारी सेवक (अधिकारी/कर्मचारी) जिम्मेदार पाये जायं उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

6--अनुरोध है कि सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 30 जून, 1993 में निर्धारित सामान्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों को उपरोक्त प्रस्तर-5 के साथ पढ़ा जाय व उनका कृपया सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,
बाद० बी० भास्कर,
सचिव ।